कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद

आदेश सं0/शि0स0/सम्बद्धता/ 166 /2013–14 दिनांक 27-4-13

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं0 1141/15–11–2013 शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल 2013 के अनुप एस0आर0डिग्री कालेज, गाजपुर, बांसपार, गोरखपुर को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापव परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकि तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012–13 से सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर र मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
2. जिन मानकों एवं शर्तो के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्ध दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। सं एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
3. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
5. सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित जायेगा। यह अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
6. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख/अपडेट वेबसाइट पर किया जायेगा।
7. प्रश्नगत संस्था को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17 एवं 18 अप्रैल 2013 के कार्यवृत्त में की गयी स के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2012–13 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0, इलाहाबाद।

पृ0सं0 /शि0स0/सम्बद्धता / 1971-79 /2013–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, शिक्षा अनुभाग –11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडि के पास, मानसरोवर जयपुर।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, गोरखपुर।
8. सचिव/प्रबन्धक, एस0आर0डिग्री कालेज, गाजपुर, बांसपार, गोरखपुर।
9. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0, इलाहाबाद।

प्रबन्धक
श्रीमती रमादेवी एजुकेशनल ट्रस्ट
103, गनराज टावर नौपड़ा
थाणे वेस्ट, महाराष्ट्र

(112)

संख्या-1141/15-11-2

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक : 26

शिक्षा अनुभाग-11

विषय-- निजी संस्थान एस0आर0 डिग्री कालेज, गाजपुर, बांसपार, गोरखपुर को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम [illegible] हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान एस0आर0 डिग्री कालेज, [illegible] बांसपार, गोरखपुर को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0 [illegible] पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषय निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों [illegible] के अधीन शैक्षिक सत्र 2012-13 से सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

(1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-[illegible] मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना [illegible]

(2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं [illegible] सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई [illegible] जायेगा। संस्था पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले [illegible]

(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों [illegible] मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम [illegible] कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक [illegible] चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद [illegible] सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के [illegible] प्रमाण पत्रों [illegible] अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना [illegible] यह अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, [illegible] संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(6) संस्थान द्वारा अपनी बेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की बेबसाइट [illegible] रखी जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख/[illegible] बेबसाइट पर किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17 एवं 18 अप्रैल, 2013 [illegible] संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2012-13 से [illegible] प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

(अशोक कुमार [illegible])
अनु सचिव।

संख्या-1141 (1)/15-11-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- [illegible] शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, [illegible]
2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी [illegible] मानसरोवर स्टेडियम), जयपुर, राजस्थान।
3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।
5- सचिव/प्रबन्धक, एस0आर0 डिग्री कालेज, गाजपुर, बांसपार, गोरखपुर।
6- गार्ड फाइल।

प्रबन्धक
श्रीमती रमादेवी एजूकेशनल ट्रस्ट
[illegible]